न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

सं.— 142/2014
सी.एम.एस. : 2014/00355

1. विजयपाल माता बिरमा पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी 3 पीपीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

—:प्रार्थी

बनाम

1. कालूराम
2. सतपाल
3. गंगादेवी
4. कमलादेवी
5. सिलोचना
6. गोमदी
7. कलावती

(क्रम 1 से 7) माता बिरमा पिसरान हनुमान जाति बिश्नोई निवासी 3 पीपीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर
9. शंकरलाल पुत्र रणजीत जाति बिश्नोई सा0 कंवरपुरा तहसील रायसिंहनगर

—:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थितिः—
1. श्री सतपाल बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. श्री नरेन्द्र भादू, वकील अप्रार्थी सं. 9

—: निर्णय :—

दिनांक : 23.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
कर निवेदन किया कि प्रार्थी की माता बिरमा पुत्री रणजीत पतनी हनुमान के नाम से चक 4 एफएफ बी
तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 22, 23, 26 में 7.961है. नहरी भूमि में 0.063है. व इसी चक के मु.नं. 27 में
1.316है. नहरी भूमि में 0.054है. व चक 8 एफएफ बी तहसील रायसिंनहगर के मु.नं. 31, 32, 33 में 15.
105है. मय खाला में 0.629है. नहरी भूमि अपने पिता रणजीत की भूमि में से विरास्तन हिस्सा में आई और
माता बिरमा के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाता में राजसव
रिकार्ड में बहिस्सा बराबर बराबर अमल दरामद हुई। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 उपरोक्त भूमि को बेचान करना
चाहते हैं। यदि विभाजन से पूर्व किसी अन्य को बेचान कर देते हैं तो मुकदमाबाजी किलेजात को लेकर
संयुक्त हिस्सेदारान के बीच हो सकता हैं। अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकी दी हैं कि वे मुझे बेदखल कर
खड़ी फसल को नष्ट कर देंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी को ना पुरा
होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी हक व अधिकारों की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा
जारी करवाने का अधिकारी हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। चक 4
एफएफ बी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 22, 23, 26 में 7.961है. नहरी भूमि में 0.063है. व इसी चक के
मु.नं. 27 में 1.316है. नहरी भूमि में 0.054है. व चक 8 एफएफ बी तहसील रायसिंनहगर के मु.नं. 31, 32, 33
में 15.105है. मय खाला में 0.629है. नहरी इस प्रकार दोनों चकों की कुल 0.746है. नहरी भूमि का किलेजात
बंटवारा होने तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। तथा वकील प्रार्थी के निवेदन
करने पर दिनांक 28.11.2014 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी। वकील
प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 की तलबी हेतु नोटिस तलवाना पेश नहीं करने तथा तलबी अप्रार्थीगण
करवाने में असफल रहने के कारण अप्रार्थी स. 1 ता 7 [illegible] किया गया। अप्रार्थी
सं. 9 द्वारा प्रा. पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत क[illegible] प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नो
ऑब्जेक्शन करने के कारण प्रा. पत्र स्वीकार [illegible] अप्रार्थी [illegible]कार संयोजित किया गया।
अप्रार्थी सं. 9 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] किया कि बिरमा [illegible] पश्चात बिरमा
देवी के हिस्सा की भूमि में से अप्रार्थी सं. [illegible] 7/8 हिस्सा [illegible] 0.373है. नहरी भूमि
का हक परित्याग दिनांक 17.07.2014 को अप्रार्थी के नाम व शेष 0.279है. नहरी भूमि प्रार्थी के नाम कर
दिया था। जिस छोड़ गये हिस्से पर अप्रार्थी काबिज है लेकिन दस[illegible]री के आधार पर इंतकाल की
कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के लिए दस्तबरदारी के तथ्य को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी
सदभावी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को
दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि का खाता विभाजन नहीं हुआ हैं, अप्रार्थीगण भूमि का बेचान
करना चाहते हैं यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो किलेजात को लेकर सहकाश्तकारों में
भविष्य में विवाद होने की संभावना है। न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.17 12:28:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा खबरदारी के तथ्य को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अतः प्रार्थी सदभावी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र रिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया दस्तावेजात ; अवलोकन व प्रस्तुत शपथ पत्र से यह प्रतीत होता हैं कि विवादित भूमि विरास्तन बिरमा देवी से प्रार्थी व प्रार्थी सं. 1 ता 7 के हक में आई हैं। और संयुक्त खातेदार की पैतृक भूमि हैं। अभी तक भूमि का बिधिवत भाजन नहीं हुआ हैं। तब तक सांयुक्त खातेदारान का प्रत्येक इंच पर समान अधिकार हैं। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं। चूंकि वह अप्रार्थी सं. 1 ता 7 के समान ही खातेदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि चक 4 एफएफ बी तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 22, 23, 26 में 7.971है. नहरी भूमि में 0.063है. व इसी चक के मु.नं. 27 में 1.316है. नहरी भूमि में 0.054है. व चक 8 एफएफ बी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 31, 32, 33 में 15.105है. मय खाला में 0.629है. नहरी इस प्रकार दोनों चकों की कुल 0.746है. नहरी भूमि पर मूल वाद निर्णय तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.17 12:28:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner